रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-252968
CG-DL-E-14032024-252968

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 13, 2024/फाल्गुन 23, 1945
No. 176] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2024/PHALGUNA 23, 1945

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

(दंत-चिकित्सा शिक्षा अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2024

सा.का.नि. 189(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2023 (2023 का 21) की धारा 53 की उपधारा (2) के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ) (ट), (ण) और (त) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं-(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2023 (2023 का 21) अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से इस अधिनियम की धारा 16 के अधीन गठित कोई स्वायत्त बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "आयोग" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अभिप्रेत है

(घ) "सचिव" से अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त आयोग का सचिव अभिप्रेत है।

(ङ) धारा से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां और इसमें परिभाषित नहीं किए गए हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, को क्रमश: वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है।

3. धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति की रीति-

(1) केंद्रीय सरकार उपधारा (4) के खंड के अधीन खोजबीन-सह-चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रबंध, विधि, चिकित्सा आचार, स्वास्थ्य अनुसंधान, उपभोक्ता या रोगी अधिकार समर्थन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी या अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में बीस वर्ष से अन्यून विशेष ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव वाले व्यक्तियों में से चार वर्ष की अवधि के लिए तीन अंशकालिक सदस्यों को नियुक्त करेगी।

(2) यथाशीघ्र अंशकालिक सदस्य की कोई रिक्ति होती है, खोजबीन-सह-चयन समिति उपयुक्त अभ्यर्थियों की सिफारिश करने के प्रयोजन के लिए ऐसी रिक्ति होने के तीन महीने समाप्त होने से पूर्व इसकी शीघ्र बैठक बुलाएगी।

(3) खोजबीन सह-चयन समिति इसे निर्दिष्ट अंशकालिक सदस्य की प्रत्येक रिक्ति के लिए न्यूनतम तीन नामों के पैनल की सिफारिश करेगी और इस तरह से नियुक्त व्यक्ति, आयोग के सदस्य के रुप में पूरे चार वर्षों की अवधि के लिए कार्य करेंगे।

4. धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति की रीति-

(1) केंद्रीय सरकार, धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद के नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से चक्रानुक्रम आधार पर, प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् ऐसी तारीख को जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए, पर्ची के ड्रा द्वारा, दस अंश-कालिक सदस्यों की नियुक्त करेगी।

(2) पर्ची का ड्रा एक ही आकार, रंग और डिजाइन की कागज की पर्चियों से संचालित किया जाएगा, जिनमें प्रत्येक राज्य और संघ राज्यों क्षेत्रों के व्यष्टिकों के नाम लिखे होंगे, जिन्हें इस तरह से मोड़ा जाएगा, जिससे कि गोपनीयता बनाई रखी जा सके।

(3) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पृथक बक्से होंगे, जिनमें से राज्यों के लिए ड्रा बक्से से नौ स्लिप निकाली जाएगी और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ड्रा बक्से से स्लिप ली जाएगी।

(4) पर्चियों का ड्रा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की उपस्थिति में संचालित किया जाएगा।

(5) पर्चियों का ड्रा प्रत्येक पश्चातवर्ती दो वर्ष के अन्तराल पर, केवल उन राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों तक ही निर्बंधित होगा जिनका इससे तुरंत पूर्ववर्ती कार्यकाल में सदस्य के रुप में प्रतिनिधित्व न हो।

(6) किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का आयोग में एक समय में एक से अधिक नाम निर्देशिती नहीं होगा।

(7) किसी सदस्य की रिक्ति होने की दशा में, जिसमें मृत्यु, त्यागपत्र या हटाने का कारण सम्मिलित है, यथास्थिति राज्य सरकार या गृह मंत्रालय, यथाशीघ्र उसकी जगह, ऐसी रिक्ति होने के तीन माह के भीतर किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशित करेगा और इस प्रकार से नामनिर्दिष्ट व्यक्ति केवल शेष बचे हुए दो वर्ष के कार्यकाल के लिए ही सदस्य होगा।

5. धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति की रीति-

(1) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद में नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से चक्रानुक्रम आधार पर, प्रत्येक दो वर्ष पर ऐसी तारीख को जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए, पर्चियों के ड्रा द्वारा नौ अंश-कालिक सदस्य नियुक्त करेगी।

(2) पर्चियों का ड्रा एक ही आकार, रंग और डिजाइन की कागज की पर्चियों से संचालित किया जाएगा, जिनमें प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के व्यष्टिकों का नाम लिखा होगा, जिन्हें इस तरह से मोड़ा जाएगा, जिससे गोपनीयता बनाई रखी जा सके।

(3) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पृथक ड्रा बक्से होंगे जिनमें से राज्यों के ड्रा बक्सों से 8 पर्चियां निकाली जाएंगी तथा संघ राज्य क्षेत्रों के ड्रा बक्से से एक पर्ची निकाली जाएगी।

(4) पर्चियों का प्रथम ड्रा उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तक निर्बंधित होंगा, जिनका नियम 4 के अधीन अंशकालिक सदस्यों के रूप में प्रतिनिधित्व नहीं है और प्रत्येक पश्चातवर्ती दो वर्ष के अंतराल पर पर्चियों का ड्रा उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तक निर्बंधित होगा, जिनका तत्काल पूर्ववर्ती कार्यकाल में सदस्यों के रूप में प्रतिनिधित्व नहीं था।

(5) पर्चियों का ड्रा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की उपस्थिति में संचालित किया जाएगा।

(6) आयोग में किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक बार में एक से अधिक नामनिर्देशिती नहीं होगा।

(7) किसी सदस्य की रिक्ति होने की दशा में जिसमें मृत्यु, त्याग पत्र या हटाना यथास्थिति राज्य सरकार या गृह मंत्रालय, यथा शीघ्र और ऐसी रिक्ति होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशित करेगा और इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्ति केवल शेष बचे हुए दो वर्ष की अवधि के लिए सदस्य होगा।

6. अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (घ) के अधीन अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति की रीति-

(1) केंद्रीय सरकार, एसोसिएट प्रोफेसर या इससे ऊपर के स्तर के दंत-चिकित्सा संकाय में से दो अंशकालिक सदस्यों को चार वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करेगी।

(2) सदस्यों की नियुक्ति, केंद्रीय या राज्य या स्वायत्त सरकारी संस्थानों से आमंत्रित नामनिर्देशन के आधार पर की जाएगी।

(3) किसी सदस्य की मृत्यु, त्याग पत्र या हटाने सहित अन्य कारणों से रिक्ति यथास्थिति, केंद्रीय या राज्य या स्वायत्त सरकारी संस्थान, शीघ्र और रिक्ति होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशित करेगी और इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्ति चार वर्ष की पूर्ण कार्यकाल के लिए सदस्य के रूप में कार्य करेगा।

7. खोजबीन-सह-चयन समिति के सदस्यों के रूप में विशेषज्ञों का नामनिर्देशन- (1) केंद्रीय सरकार, धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन खोजबीन-सह-चयन समिति के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नामनिर्देशित करेगी, अर्थात:-

(क) तीन विशेषज्ञ जिन्हें सरकारी संस्थानों से दंत-चिकित्सा शिक्षा, जन स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट अर्हता प्राप्त हो और कम-से-कम पच्चीस वर्ष का अनुभव हो;

(ख) एक विशेषज्ञ, जिसे प्रबंध या विधि या अर्थशास्त्र या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट अर्हताएं प्राप्त हों और कम-से-कम पच्चीस वर्ष का अनुभव हो।

(2) उप-नियम (1) के अधीन नामनिर्देशित व्यक्ति दो वर्ष के कार्यकाल के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करेंगे।

(3) खोजबीन-सह-चयन समिति के किसी सदस्य की यथास्थिति मृत्यु, त्याग पत्र या हटाने सहित अन्य कारणों से रिक्ति होने पर, केंद्रीय सरकार उप-नियम (1) के अधीन शीघ्र और ऐसी रिक्ति होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशित करेगी और इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्ति दो वर्ष के पूर्ण कार्यकाल के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति में सदस्य बना रहेगा।

8. आयोग के अध्यक्ष को संदेय वेतन और भत्ते तथा सदस्यों को संदेय भत्ते- (1) अध्यक्ष को संदेय वेतन भारत सरकार के अपर सचिव को अनुज्ञेय वेतन के समतुल्य होगा।

परंतु यह कि जहां अध्यक्ष सरकारी, अर्द्ध-सरकारी अभिकरण, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान से सेवा निवृत्त व्यक्ति है, ऐसे अध्यक्ष द्वारा प्राप्त वेतन के साथ उसके द्वारा प्राप्त पेंशन या आवधिक फायदों के पेंशनरी मूल्य या दोनों, अंतिम आहरित वेतन से अधिक नहीं होंगे।

(2) अध्यक्ष केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सेवा में है, उसके वेतन और भत्ते उसके मूल संवर्ग या विभाग में ऐसे अध्यक्ष पर लागू नियमों या उप-नियम (1), जो भी अधिक हो, के अनुसार विनियमित होंगे और आयोग में उसकी नियुक्ति को प्रतिनियुक्ति पर हुई नियुक्ति माना जाएगा।

(3) आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, केंद्रीय सरकार में समतुल्य स्तर के अधिकारियों को अनुज्ञेय दरों पर उनके वेतन के समुचित महंगाई भत्ते, यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों के हकदार होंगे।

परंतु यह कि पदेन सदस्यों का मंहगाई भत्ता और यात्रा भत्ता मूल विभाग या संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।

(4) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों से संबंधित उनके बिलों का स्वयं नियंत्रण अधिकारी होगा।

9. आयोग के सचिव- (1) केंद्रीय सरकार आयोग के सचिव के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगी जो उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता प्राप्त और सत्यनिष्ठ हो तथा जिसके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात:-

(i) किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से अधिमानत: दंत-चिकित्सा या जन स्वास्थ्य या स्वास्थ्य प्रशासन से संबंधित किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री; और

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किया हो; या

(iii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 या इसके समतुल्य पर न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या

(iv) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 या इसके समतुल्य पर न्यूनतम सात वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(v) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी कानूनी निकाय या मान्यता प्राप्त संगठन या संस्था में अपनी संबंधित सेवा या वृत्ति में कम से कम बारह वर्ष का अनुभव और साथ ही कम से कम पांच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो।

(2) आवेदन की तिथि तक पचपन वर्ष की आयु पूरी कर चुका व्यक्ति सचिव पद के लिए पात्र नहीं होगा। (3) सचिव को संदेय वेतन, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतन के समतुल्य होगा।

(4) सचिव, भारत सरकार के संयुक्त सचिव को अनुज्ञेय दरों पर उसके वेतन के समुचित मंहगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का हकदार होगा।

(5) सचिव चार वर्ष के कार्यकाल के लिए या साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर रहेगा।

10. धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (घ) के दूसरे उपबंध के अधीन **दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद के सदस्य का नामनिर्देशन-** जहां किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कोई सरकारी दंत चिकित्सा कॉलेज नहीं है, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की दशा में, गृह मंत्रालय निम्नलिखित दंत अर्हताएं और अनुभव रखने वाले व्यक्ति को धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (घ) के दूसरे उपबंध के अधीन दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित करेगा अर्थात्:-

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से दंत चिकित्सा विज्ञान के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री

(ख) राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्ट्रर में रजिस्ट्रीकृत; और

(ग) दंत चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में पंद्रह वर्ष से अन्यून का अनुभव हो।

11. धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन बोर्ड के दूसरे अंशकालिक सदस्य की नियुक्ति की रीति- केंद्रीय सरकार धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन प्रत्येक बोर्ड के लिए लॉटरी निकालकर दूसरे अंशकालिक सदस्य की नियुक्ति धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन आयोग के सदस्यों में से नियुक्त करेगी, जिन्होंने स्वायत्त बोर्ड के दूसरे अंशकालिक सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए अपनी सहमति दी है और किसी भी अनिच्छुक सदस्य का नाम ड्रा बक्से में शामिल नहीं किया जाएगा।

(2) ड्रा बक्से में नौ राज्यों के नाम वाली नौ पर्चियों में से तीन पर्चियां निकाली जाएंगी।

(3) पहली पर्ची में आने वाला नाम स्नातक और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड के दूसरे अंशकालिक सदस्य का प्रतिनिधित्व करेगा, दूसरी पर्ची में आने वाला नाम दंत चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड के दूसरे अंशकालिक सदस्य का प्रतिनिधित्व करेगा और तीसरी पर्ची में आने वाला नाम आचार और दंत चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के दूसरे अंशकालिक सदस्य का प्रतिनिधित्व करेगा।

(4) लॉट का ड्रा संघ स्वास्थ्य सचिव की उपस्थिति में संचालित किया जाएगा।

(5) दूसरे अंशकालिक सदस्यों का कार्यकाल, धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन आयोग में उनकी सदस्यता के साथ सहविस्तारी होगा।

(6) किसी भी समय रिक्ति होने की स्थिति में, केंद्रीय सरकार इस नियम में उपबंधित रीति में अन्य दूसरे अंशकालिक सदस्य की नियुक्ति करेगी।

12. बोर्डों के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते और अंशकालिक सदस्यों को संदेय भत्ते-

(1) बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों का वेतन, भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर अधिकारी के अधिकारी के वेतन के समतुल्य होगा:

परंतु यह कि जहां किसी बोर्ड का अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य, सरकारी, अर्ध-सरकारी अभिकरण, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान से सेवानिवृत्त व्यक्ति है, ऐसे अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य द्वारा प्राप्त वेतन के साथ संदेय पेंशन या आवधिक फायदों के पेंशनरी मूल्य, या दोनों अंतिम आहरित वेतन से अधिक नहीं होंगे।

(2) जहां किसी बोर्ड का अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सेवा में है, उसका वेतन और भत्ते ऐसे अध्यक्ष या उसके मूल संवर्ग या विभाग में पूर्णकालिक सदस्य पर लागू नियमों के अनुसार विनियमित होंगे या उपनियम (1) के अनुसार, जो भी अधिक हो, तथा आयोग में उसकी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर मानी जायेगी।

(3) प्रत्येक बोर्ड का अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य, केंद्रीय सरकार में समतुल्य स्तर के अधिकारियों को अनुज्ञेय दरों पर उनके वेतन के समुचित महंगाई भत्ते होंगे।

(4) प्रत्येक बोर्ड का अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य अपने वेतन के समुचित दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे जो केंद्रीय सरकार में उनके समतुल्य अधिकारियों को अनुज्ञेय हैं।

13. बैठक शुल्क- यथास्थिति आयोग या बोर्ड में, आयोग के पदेन और अंशकालिक सदस्य और प्रत्येक बोर्ड के अंशकालिक सदस्य, प्रत्येक दिन की बैठक के लिए पांच हजार रुपये बैठक शुल्क के हकदार होंगे।

14. छुट्टी- धारा 4 की उपधारा 4 के खंड (क) से (घ) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष और आयोग के सदस्य, आयोग के सचिव और प्रत्येक बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य निम्नलिखित के हकदार होंगे—

(क) समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के अनुसार केंद्रीय सरकार के सेवकों के लिए अनुज्ञेय अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश और परिवर्तित अवकाश; और

(ख) समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन अस्थायी केंद्रीय सरकार के सेवकों के लिए अनुज्ञेय असाधारण छुट्टी।

15. छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी- (1) आयोग के अध्यक्ष को छुट्टी मंजूर करने के लिए केंद्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी होगी।

(2) आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित को छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे-

(क) सदस्य, आयोग के पदेन सदस्यों से भिन्न और सचिव; और

(ख) बोर्ड के अध्यक्ष।

(3) बोर्ड का अध्यक्ष, बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य को छुट्टी मंजूर करने का प्राधिकार होगा।

16. अभिदायी भविष्य निधि- चेयरपर्सन और बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य,

(क) अभिदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियम, 1960 के अधीन अभिदान लेने का कोई विकल्प नहीं है;

(ख) बोर्ड में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन और उपदान के हकदार नहीं होंगे।

17. केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों का लागू होना- यथास्थिति आयोग के अध्यक्ष, सचिव और बोर्ड के अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्य, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों के उपबन्धों द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान शासित होंगे।

18. आस्तियों, व्यावसायिक और वाणिज्यिक जुड़ाव या भागीदारी की घोषणा- आयोग तथा बोर्ड के अध्यक्ष, सचिव और अध्यक्ष एवं सदस्य-

(क) इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप क में अपनी आस्ति और दायित्वों की विवरणी फाईल करेंगे।

(ख) इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप ख में ऐसे अध्यक्ष या सचिव या सदस्य नियुक्ति के समय और पद छोड़ने के समय अपने व्यवसायिक और वाणिज्यिक जुड़ाव या भागीदारी की घोषणा करेंगे।

19. आयोग की अन्य शक्तियां और कृत्य - धारा 10 में विनिर्दिष्ट आयोग की शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त, आयोग –

(क) देश में दंत चिकित्सा शिक्षा की लागत को कम करने के लिए अध्ययन करवाऐगा;

(ख) शिक्षा की लागत को कम करने और इसे अधिक सुगम बनाने की दृष्टि से अन्य के बीच, आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने, अवसंरचना का गहन उपयोग, संकाय साझा करना और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के पालन का परामर्श देगा:

(ग) बोर्डों के विनिश्चयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई की रीति विनिश्चित करेगा:

परंतु यह कि जहां बोर्ड के विनिश्चय के विरूद्ध अपील फाइल की जाती है, ऐसे बोर्ड के अध्यक्ष अपील की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे

(घ) विनियम

(i) सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और अन्य पणधारियों जैसे कि दंत चिकित्सक व्यवसायिक संगम, रेजिडेंट दंत चिकित्सक संगम और रोगी अधिकार निकायों से परामर्श के पश्चात बनाए;

(ii) प्रारूप विनियमों को तीस दिनों की अवधि के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कर व्यापक प्रचार करने के पश्चात बनाए:

(iii) आम जनता से प्राप्त सभी आपत्तियों या सुझावों पर विचार करने के पश्चात बनाए;

(iv) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से विनियमों के अंतिम प्रारुप पर विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग से परामर्श करने के पश्चात बनाए;

(ङ) आयोग द्वारा लिए गए प्रत्येक प्रमुख विनिश्चय की एक प्रति को अपने सचिव के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पृष्ठांकित करना और इसे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा;

(च) केंद्रीय सरकार को समय समय पर ऐसी सूचना या रिपोर्ट उपलब्ध करवाऐगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अपेक्षित हो।

20. भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के तत्कालीन कर्मचारियों को देय प्रतिकर-

(1) धारा 58 की उप-धारा (5) में उपबंधित अनुसार आयोग एक वर्ष की अवधि के भीतर तत्कालीन भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के नियमित कर्मचारियों को समय से पहले समाप्ति और संदेय प्रतिकर पर विनिश्चय करेगा।

(2) तत्कालीन भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के कर्मचारी को, जब तक कि वह संविदा के आधार पर आयोग के साथ जारी नहीं रखता है, तब तक उसकी सेवा समाप्ति के समय तीन महीने के वेतन के समतुल्य अग्रिम राशि संदत नहीं की जाएगी, जो कुल प्रतिकर पैकेज से काट ली जाएगी।

(3) तत्कालीन भारतीय दंत चिकित्सा परिषद का कर्मचारी, जिसे आयोग द्वारा जारी नहीं रखा जाता है, को उसकी नियुक्ति के समय तत्कालीन भारतीय दंत चिकित्सा परिषद में लागू सेवा के निबंधनों और शर्तों के अनुसार ऐसे कर्मचारी को प्रतिकर पैकेज सहित लागू पेंशन फायदों का संदाय किया जाएगा।

प्ररूप क

[नियम 18 (क) देखिए]

आस्तियों और दायित्वों की घोषणा

अचल संपत्ति का विवरण

नाम	**ज़िला, उप-खंड, तालुका और गांव या शहर जहाँ**	**संपत्ति, आवास, भूमि और अन्य**	**निर्माण/ अधिग्रहण की लागत (और वर्ष जब**	**वर्तमान मूल्य ***	**कैसे अर्जित किया गया, खरीद, पट्टे **, गिरवी, विरासत, उपहार**	**संपत्ति से वार्षिक आय**	**टिप्पणी**

	संपत्ति स्थित है, का नाम (पूरा स्थान और डाक पता)	भवनों का नाम और विवरण	खरीदा गया) मकान के मामले में भूमि सहित		या अन्यथा अधिग्रहण की तारीख के साथ और जिस व्यक्ति से अधिग्रहीत किया गया है उसका नाम विवरण सहित		
स्वयं							
पति/पत्नी							
आश्रित							

घोषणा

मैं ______________________________________ एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

उपर्युक्त दी गई सूचना में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में , मैं इसकी सूचना देने का वचन देता हूं।

भवदीय,

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

तारीख:

प्ररूप ख

[नियम 18 (ख) देखिए]

प्रथम नियुक्ति और कार्यालय छोड़ने के समय पर व्यवसायिक और वाणिज्यिक जुड़ाव या भागीदारी का विवरण

क्र.सं	संबंध	नाम	घोषणा की तारीख से पिछले तीन वर्षों में धारित व्यावसायिक पद, यदि कोई हो	घोषणा की तारीख से पिछले तीन वर्षों में आयोजित वाणिज्यिक जुड़ाव/ भागीदारी, यदि कोई हो
1	स्वयं			
2	पति/पत्नी			
3	आश्रित-1			
4	आश्रित-2			
5.*	आश्रित-3			

तारीख..................

हस्ताक्षर....................

[फा. सं. V.12025/94/2023-DE]

डॉ. विपुल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

(DENTAL EDUCTION SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2024

G.S.R. 189(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (o) and (p) of sub-section (2), of section 53 of the National Dental Commission Act, 2023 (21 of 2023), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the National Dental Commission Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Dental Commission Act, 2023 (21 of 2023);

(b) "Board" means any of the Autonomous Board constituted under section 16 of the Act;

(c) "Commission" means the National Dental Commission constituted under section 3 of the Act;

(d) "Secretary" means Secretary of the Commission appointed under sub-section (1) of section 8 of the Act;

(e) "section" means section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act, shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

3. Manner of appointment of part-time Members under clause (a) of sub-section (4) of section 4.— (1) The Central Government shall appoint three part-time Members under clause (a) of sub-section (4) of section 4 on the recommendations of the Search-cum-Selection Committee for a term of four years, from amongst persons having special knowledge and professional experience of not less than twenty years in areas of management, law, medical ethics, health research, consumer or patient rights advocacy, science and technology or economics.

(2) As soon as any vacancy of a part-time Member arises, the Search-cum-Selection Committee shall, for the purpose of recommending suitable candidates, convene its meeting at the earliest but not later than three months from the occurrence of such vacancy.

(3) The Search-cum-Selection Committee shall recommend a panel of at least three names for each vacancy of a part-time Member referred to it and the persons so appointed shall serve as a Member of the Commission for a full term of four years.

4. Manner of appointment of part-time Members under clause (b) of sub-section (4) of section 4.— (1) The Central Government shall appoint ten part-time Members under clause (b) of sub-section (4) of section 4 from amongst the members of the Dental Advisory Council nominated under clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 11, on rotation basis, after every two years, by draw of lots on such date as may be decided by the Central Government.

(2) The draw of lots shall be conducted with paper slips of uniform size, colour and design bearing individual names of each State and Union territories, which shall be folded in such manner so as to preserve the confidentiality.

(3) There shall be separate draw boxes for the States and the Union territories out of which nine slips shall be picked up from the draw box for the States and one slip shall be picked up from the draw box of the Union territories.

(4) The draw of lots shall be conducted in the presence of the Union Health Secretary.

(5) The draw of lots at every subsequent two year interval, shall be restricted to those States or Union territories not represented as Members in the immediately preceding term.

(6) No State or Union territory shall be represented by more than one nominee in the Commission at a time.

(7) In the event of occurrence of vacancy of a Member, including by reason of death, resignation or removal, the State Government or the Ministry of Home Affairs, as the case may be, shall nominate another person in his place at the

earliest and within three months from the occurence of such vacancy, and the person so nominated, shall be a Member only for the remaining term of two years.

5. Manner of appointment of part-time Members under clause (c) of sub-section (4) of section 4.— (1) Nine part-time Members from amongst the members of the Dental Advisory Council nominated under clause (e) of sub-section (2) of section 11, on rotation basis, after every two years, by draw of lots on such date as may be decided by the Central Government

(2) The draw of lots shall be conducted with paper slips of uniform size, colour and design bearing individual names of each State and Union territories, which shall be folded in such manner so as to preserve the confidentiality.

(3) There shall be separate draw boxes for the States and the Union territories out of which eight slips shall be picked up from the draw box for the States and one slip shall be picked up from the draw box of the Union territories.

(4) The first draw of lots shall be restricted to those States and Union territories which are not represented as part-time Members under rule 4 and the draw of lots at every subsequent two-year interval, shall be restricted to those States and Union territories not represented as Members in the immediately preceding term.

(5) The draw of lots shall be conducted in the presence of the Union Health Secretary.

(6) No State or Union territory shall be represented by more than one nominee in the Commission at a time.

(7) In the event of occurrence of vacancy of a Member, including by reason of death, resignation or removal, the State Government or the Ministry of Home Affairs, as the case may be, shall nominate another person in his place at the earliest and within three months from the date of occurence of such vacancy and the person so nominated shall be a Member only for the remaining term of two years.

6. Manner of appointment of part-time Members under clause (d) of sub-section (4) of section 4.— (1) The Central Government shall appoint two part-time Members from amongst dental faculty of the level of Associate Professor or above, for a period of four years.

(2) The members shall be appointed on the basis of nominations invited from the Central or State or Autonomous Government Institutes.

(3) In the event of occurrence of vacancy of a Member, including by reason of death, resignation or removal, the Central or State or Autonomous Government Institute, as the case may be, shall nominate another person in his place at the earliest and within three months from the date of occurence of such vacancy and the person so nominated shall serve as a Member for a full term of four years.

7. Nomination of experts as members of Search-cum-Selection Committee.– (1) The Central Government shall nominate the following persons as members of the Search-cum-Selection Committee under clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 5, namely :—

(a) three experts, possessing outstanding qualification and experience of not less than twenty-five years in the field of dental education, public health education and health research from Government Institutes;

(b) one expert, having outstanding qualifications and experience of not less than twenty-five years in the field of management or law or economics or science and technology.

(2) The persons nominated under sub-rule (1) shall serve as members of the Search-cum-Selection Committee for a term of two years.

(3) In the event of occurrence of vacancy, including by reason of death, resignation or removal, as the case may be, of any member of the Search-cum-Selection Committee under sub-rule (1), the Central Government shall nominate another person as a member at the earliest and within three months from the date of occurence of such vacancy and the person so nominated shall remain a member in the Search Cum Selection Committee for a full term of two years.

8. Salaries and allowances payable to Chairperson and allowances payable to Members of Commission.— (1) The salary payable to the Chairperson shall be equivalent to the salary admissible to an Additional Secretary to the Government of India:

Provided that where the Chairperson is a retired person from the Government, semi-Government agency, public sector undertaking or recognised research institution, the salary payable together with the pension or pensionery value of the terminal benefits, or both, received by such Chairperson shall not exceed the last pay drawn.

(2) Where the Chairperson is in the service of the Central Government or a State Government or a Union territory Administration, his salary and allowances shall be regulated in accordance with the rules applicable to such

Chairperson in his parent cadre or department, or as per sub-rule (1), whichever is higher, and his appointment in the Commission shall be treated as being on deputation.

(3) The Chairperson and every other Member of the Commission shall be entitled to dearness allowance, travelling allowances and daily allowances appropriate to their pay at the rates admissible to officers of equivalent level in the Central Government:

Provided that dearness allowance and travelling allowance of ex officio Members shall be borne by the parent department or organisation.

(4) The Chairperson and every Member shall be his own controlling officer in respect of his bills relating to travelling allowances and daily allowances.

9. Secretary of Commission.— (1) The Central Government shall appoint a Secretary to the Commission who shall be a person of of outstanding ability, proven administrative capacity and integrity and possessing the following qualifications and experience, namely:—

(i) a post-graduate degree in any discipline preferably related to Dental or Public Health or Health Administration from any University or Institute; and

(ii) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(iii) with minimum three years' regular service in Level 13 in the pay matrix or equivalent thereto; or

(iv) with minimum seven years' regular service in Level 12 in the pay matrix or equivalent thereto; and

(v) having experience in the Central Government or a State Government or any statutory body or recognised organisation or institution of not less than twelve years in his related service or profession along with administrative experience of not less than five years.

(2) A person who has completed the age of fifty-five years on the date of application shall not be eligible for the post of Secretary.

(3) The salary payable to the Secretary shall be equivalent to the salary of Joint Secretary to the Government of India.

(4) The Secretary shall be entitled for dearness allowance, travelling allowances and daily allowances appropriate to his pay at the rates admissible to Joint Secretary to the Government of India.

(5) The Secretary shall hold office for a term of four years or till he attain the age of sixty years, whichever is earlier.

10. Nomination of member of Dental Advisory Council under the second proviso to clause (d) of sub-section (2) of section 11**.–** Where there is no Government Dental College in any State or Union territory, the State Government or in case of a Union territory, the Ministry of Home Affairs shall, nominate a person possessing the following dental qualifications and experience, as a member of the Dental Advisory Council under the second proviso to clause (d) of sub-section (2) of section 11, namely:–

(a) a post-graduate degree in any discipline of dental sciences from a recognised University or institute;

(b) registered with the National Register or State Register; and

(c) having experience of not less than fifteen years in the field of dental sciences.

11. Manner of appointment of second part-time Members of Boards under sub-section (5) of section 17 .– (1) The Central Government shall appoint under sub-section (5) of section 17, a second part-time Member for each of the Boards by draw of lots from amongst the Members of the Commission appointed under clause (c) of the sub-section (4) of section 4 who have given their consent to serve as second part time Member of Autonomous Board and the name of any unwilling Member shall not be included in the draw box.

(2) Three slips shall be picked from out of the nine slips in the draw box containing the names of the nine States.

(3) The name appearing in the first slip shall represent the second part-time Member of the Undergraduate and Postgraduate Dental Education Board, the name appearing in the second slip shall represent the second part-time Member of the Dental Assessment and Rating Board and the name appearing in the third slip shall represent the second part-time Member of the Ethics and Dental Registration Board.

(4) The draw of lots shall be conducted in the presence of the Union Health Secretary.

(5) The term of the second part-time Members shall be co-terminus with their membership in the Commission under clause (c) of sub-section (4) of section 4.

(6) In the event of occurrence of vacancy at any time, the Central Government shall appoint another second part-time Member in the manner provided in this rule.

12. Salaries and allowances payable to President and whole-time Members, and allowances payable to part-time Members, of Boards.–

(1) The salary of the President and whole-time Members of a Board shall be equivalent to the salary of an officer of the level of Joint Secretary to the Government of India:

Provided that where the President or a whole-time Member of a Board, is a retired person from the Government, semi-Government agency, public sector undertaking or recognised research institution, the salary payable together with the pension or pensionery value of the terminal benefits, or both, received by such President or whole-time Member shall not exceed the last pay drawn.

(2) Where the President or a whole-time Member of a Board is in the service of the Central Government or a State Government or a Union territory Administration, his salary and allowances shall be regulated in accordance with the rules applicable to such President or a whole-time Member in his parent cadre or department, or as per sub-rule (1), whichever is higher, and his appointment in the Commission shall be treated as being on deputation.

(3) The President and whole-time Members of each Board shall be entitled for dearness allowance appropriate to their pay at the rates admissible to officers of equivalent level in the Central Government.

(4) The President and every other Member of each of the Boards shall be entitled to travelling allowance and daily allowances at the rates appropriate to their pay admissible to officers of equal rank in the Central Government.

13. Sitting fee.—The ex-officio and part time Members of the Commission and the part-time Members of each Board, shall be entitled to a sitting fee of five thousand rupees for each day of sitting of the Commission or the Board as the case may be.

14. Leave.– The Chairperson and Members of the Commission appointed under clauses (a) to (d) of sub-section (4) of section 4, the Secretary to the Commission and the President and whole-time Members of each Board shall be entitled to—

(a) earned leave, half pay leave and commuted leave as admissible to Central Government servants in accordance with the Central Civil Services (Leave) Rules,1972, as amended from time to time; and

(b) extraordinary leave as admissible to the temporary Central Government servants under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time.

15. Leave sanctioning authority.– (1) The Central Government shall be the authority competent to sanction leave to the Chairperson of the Commission.

(2) The Chairperson of the Commission shall be the authority competent to sanction leave to,–

(a) the Members, other than ex officio Members of Commission and the Secretary; and

(b) the President of a Board.

(3) The President of a Board shall be the authority to sanction leave to the whole-time Member of that Board.

16. Contributory Provident Fund.– The Chairperson and the President and whole-time Members of Board, –

(a) shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962 and there shall be no option to subscribe under the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960;

(b) shall not be entitled to additional pension and gratuity for the service rendered by them in the Board

17. **Application of Central Civil Services Rules.–** The Chairperson, Secretary, President and whole-time Members of the Commission and the Boards, as the case may be, shall be governed by the provisions of the Central Civil Service (Conduct) Rules during their tenure.

18. Declaration of assets, professional and commercial engagement or involvement.— The Chairperson, Secretary, President, and Members of the Commission and Boards shall–

(a) file a return of their assets and liabilities in Form A annexed to these rules;

(b) declare their professional and commercial engagement or involvement at the time of appointment, and at the time of demitting office as such Chairperson or Secretary or Member, in Form B annexed to these rules.

19. Other powers and functions of Commission. — In addition to the powers and functions of the Commission specified in section 10 , the Commission shall—

(a) undertake study to reduce the cost of dental education in the country;

(b) suggest, among others, adoption of modern technology, intensive use of infrastructure, faculty sharing, and global best practices with a view to reduce the cost of education and make it more accessible;

(c) decide the manner of hearing appeals against the decisions of Boards:

Provided that where an appeal is filed against the decision of a Board, the President of such Board shall not participate in the appeal proceedings;

(d) make regulations after

(i) consulting all State Governments, Union territory Administrations and other stakeholders, such as, association of dental professionals, association of resident dentists and patient rights bodies;

(ii) giving wide publicity by placing draft regulations on the website of the Commission for a period of thirty days;

(iii) taking into consideration all objections or suggestions received from the general public;

(iv) Consulting the Legislative Department in the Ministry of Law and Justice on the final draft of the regulations through the Ministry of Health and Family Welfare;

(e) endorse a copy of each major decision taken by the Commission to the Ministry of Health and Family Welfare through its Secretary and publish it on the website of the Commission;

(f) furnish such information or report to the Central Government as may be required by the Central Government from time to time

20. Compensation payable to erstwhile employees of Dental Council of India.– (1) The Commission shall decide on the premature termination and compensation payable to the regular employees of the erstwhile Dental Council of India within a period of one year as provided in sub-section (5) of Section 58.

(2) An employee of the erstwhile Dental Council of India, unless continued with the Commission on contract basis, shall be paid an advance amount equivalent to three months' salary at the time of termination of his service which shall be deducted from the total compensation package.

(3) An employee of the erstwhile Dental Council of India who is not continued with the Commission, shall be paid compensation package including pensionary benefits applicable to such employee as per the terms and conditions of his service at the time of his appointment in the erstwhile Dental Council of India.

Form A

[*See rule 18 (a)*]

DECLARATION OF ASSETS AND LIABILITIES

Details of immovable property

Name (in block letters)	Name of District, Sub-Division, Taluk & Village or City in which property is situated (full	Name and Details of Property, Housing, Lands and Other Buildings	Cost of construction/ Acquirement (and year when purchased) including of land in case of house	Present Value *	How acquired, whether by purchase, lease **, mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition & name with	Annual Income from Property	Remarks

	location & postal address)				details of person(s) from whom acquired		
Self							
Spouse							
Dependent							

DECLARATION

I, --hereby declare that the information given above is true and correct to the best of my knowledge and belief.

In the event of any change in the information given above, I undertake to intimate the same.

Yours faithfully,

Signature/thumb impression

Date:

Form B

[See rule 18 (b)]

Declaration of professional and commercial engagements or involvement

on first appointment and at the time of demitting office

Sl.No	Relation	Name	Professional position held in last three years from the date of declarations, if any	Commercial engagements /involvement held in last three years from the date of declarations, if any
1	Self			
2	Spouse			
3	Dependent-1			
4	Dependent-2			
5.*	Dependent-3			

Date…………………..

Signature………………...

[F. No. V.12025/94/2023-DE]

Dr. VIPUL AGGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2024.03.14 01:47:18 +05'30'